सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 705

7 पौष, 1927 शकाब्द
राँची, बुधवार 28 दिसम्बर, 2005

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2005

संख्या 3036--झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 की धारा 26 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल राज्य में इन्टरमिडिएट महाविद्यालय/ 10+2 स्तर के विद्यालय के स्थापना की अनुमति एवं प्रस्वीकृति हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

नियमावली

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ --**

(क) यह नियमावली झारखण्ड इन्टरमिडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 कही जाएगी,

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा,

(ग) यह राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. **परिभाषाएँ :-** जबतक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में :-

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2002,

(ख) 'नियमावली' से अभिप्रेत है, झारखण्ड इन्टरमिडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति(शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005,

(ग) 'महाविद्यालय' से अभिप्रेत है, इन्टरमिडिएट महाविद्यालय/ 10+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था,

(घ) 'सचिव' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का सचिव,

(ड.) 'संकाय' से अभिप्रेत है, किसी महाविद्यालय या संस्था का कला, विज्ञान, वाणिज्य अथवा व्यावसायिक शिक्षा का संकाय,

(च) 'संस्था' से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन मान्यता प्राप्त इन्टरमिडिएट/ (10+2) स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था''

(छ) 'शासी निकाय' से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किसी महाविद्यालय का शासी निकाय,

(ज) 'पाठ्यक्रम' से अभिप्रेत है, परिषद् द्वारा इन्टरमिडिएट/ (10+2) स्तर के लिए विहित पाठ्यक्रम,

(झ) 'सत्र' से अभिप्रेत है, शैक्षणिक सत्र,

(ञ) 'स्थापना अनुमति' से अभिप्रेत है झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा प्रदत्त स्थापना अनुमति,

(ट) 'प्रस्वीकृति' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा प्रदत्त प्रस्वीकृति,

(ठ) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य की सरकार,

जो शब्द इस नियमावली में परिभाषित नहीं है उनका वही अर्थ होगा जो झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2002 में है ।

स्थापना अनुमति

3. परिषद् से स्थापना अनुमति प्राप्त किए बिना कोई संस्था स्थापित नहीं की जाएगी ।

4. निम्नलिखित शर्तो के अधीन परिषद् स्थापना की अनुमति देगी :-

(1) संस्था को प्रस्तावित करने वाला निकाय कम-से-कम सात सदस्यों का होगा और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम 21, 1860) के अधीन निबंधित होगा।

(2) आवेदन विहित प्रपत्र मे सचिव को विहित शुल्क के साथ सत्र के प्रारंभ होने के कम-से-कम छः माह पूर्व दिया जा सकेगा ।

(3) आवेदन प्राप्त होने पर परिषद् स्थल निरीक्षण करायेगा जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच की जाएगी :-

(क) क्या प्रस्तावित स्थान पर संस्था की आवश्यकता है ?

(ख) क्या प्रस्तावित करने वाला निकाय संस्था का उचित तौर पर संचालन करने मे समर्थ है ?

स्पष्टीकरण:- (i) खंड (क) के संबंध में पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त संस्थाओं से प्रस्तावित स्थल की दूरी और आबादी के अनुसार आवश्यकता पर विचार किया जाएगा । सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में 8 (आठ) किलोमीटर की दूरी के भीतर और शहरी क्षेत्र (कम-से-कम एक लाख आबादी) में 3 (तीन) किलोमीटर के भीतर पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त संस्था नही होनी चाहिए और 50,000 (पचास हजार) की आबादी एक संस्था की स्थापना के लिए पर्याप्त मानी जायेगी ।

(ii) खंड (ख) के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्था प्रस्तावित करने वाले निकाय को आवर्तक वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध है।

(iii) इसके खाते में सुरक्षा कोष जमा करने के लिए राशि उपलब्ध है तथा भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रधानाचार्य आवास और छात्रावास निर्माण हेतु सुरक्षित कोष है ।

(iv) प्रारंभ में निर्माण कार्य करने के लिए 5.00 (पाँच लाख) का भवन सुरक्षा कोष पर्याप्त माना जाएगा ।

(ग) अपने भवन का निर्माण होने तक संस्था के पास वर्ग और कार्यालय चलाने के लिए किराये या निबंधित लीज पर कम-से-कम 7 कमरे (30' X 20' = 600 वर्गफीट प्रत्येक) का भवन उपलब्ध होना चाहिए ।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र में कम-से-कम 2 एकड़ (एक खंड में) और शहरी क्षेत्र में 1 एकड़ भूमि (एक खंड में) का स्वामित्व एवं कब्जा संस्था ने प्राप्त कर लिया हो ।

(4) परिषद् से स्थापना अनुमति जबतक प्राप्त न हो जाए, संस्था छात्रों का नामांकन नहीं करेगी ।

(5) स्थापना अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दी जाएगी ।

स्थायी प्रस्वीकृति

5. स्थापना अनुमति प्राप्त संस्था एक वर्ष के सफल संचालन के बाद ही प्रस्वीकृति हेतु आवेदन देने के लिए पात्र होगी ।

6. अधिनियम की धारा-7(झ) के प्रावधानों के अधीन किसी संस्था को एक या अधिक संकायों में प्रस्वीकृति दी जा सकेगी ।

7. **स्थायी प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित पात्रता:**

(क) **भूमि** --ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 2 एकड़ तथा शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 01 एकड़ भूमि निबंधित न्यास, निकाय अथवा सोसायटी जिसके अधीन संस्था संचालित है के नाम से निबंधित या 30 वर्षो के लीज पर निबंधित होनी चाहिए ।

(ख) **भवन** -- संस्था को निम्नांकित संरचना के साथ अपना भवन होना चाहिए :-
व्याख्यान कक्ष न्यूनतम आकार 20' X 30' के कम-से-कम 7 उपस्कर युक्त व्याख्यान कक्ष ।
इसके अतिरिक्त निम्नांकित संरचना आवश्यक है:

	कमरा	न्यूनतम आकार	संख्या
1.	प्राचार्य कक्ष-	20' X 30'	1
2.	कार्यालय-	20' X 30'	1
3.	पुस्तकालय-	25' X 40'	1
4.	शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम	20' X 30'	1
5.	छात्रों के लिए कॉमन रूम-	20' X 30'	1
6.	छात्राओं के लिए कॉमन रूम-	20' X 30'	1
7.	प्रयोगशाला-	25' X 40'	
	प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिए अलग-अलग		1

(ii) खंड (ख) के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्था प्रस्तावित करने वाले निकाय को आवर्तक वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध है।

(iii) इसके खाते में सुरक्षा कोष जमा करने के लिए राशि उपलब्ध है तथा भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रधानाचार्य आवास और छात्रावास निर्माण हेतु सुरक्षित कोष है ।

(iv) प्रारंभ में निर्माण कार्य करने के लिए 5.00 (पाँच लाख) का भवन सुरक्षा कोष पर्याप्त माना जाएगा ।

(ग) अपने भवन का निर्माण होने तक संस्था के पास वर्ग और कार्यालय चलाने के लिए किराये या निबंधित लीज पर कम-से-कम 7 कमरे (30' X 20' = 600 वर्गफीट प्रत्येक) का भवन उपलब्ध होना चाहिए ।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र में कम-से-कम 2 एकड़ (एक खंड में) और शहरी क्षेत्र में 1 एकड़ भूमि (एक खंड में) का स्वामित्व एवं कब्जा संस्था ने प्राप्त कर लिया हो ।

(4) परिषद् से स्थापना अनुमति जबतक प्राप्त न हो जाए, संस्था छात्रों का नामांकन नहीं करेगी ।

(5) स्थापना अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दी जाएगी ।

स्थायी प्रस्वीकृति

5. स्थापना अनुमति प्राप्त संस्था एक वर्ष के सफल संचालन के बाद ही प्रस्वीकृति हेतु आवेदन देने के लिए पात्र होगी ।

6. अधिनियम की धारा-7(झ) के प्रावधानों के अधीन किसी संस्था को एक या अधिक संकायों में प्रस्वीकृति दी जा सकेगी ।

7. **स्थायी प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित पात्रता:**

(क) **भूमि** --ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 2 एकड़ तथा शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 01 एकड़ भूमि निबंधित न्यास, निकाय अथवा सोसायटी जिसके अधीन संस्था संचालित है के नाम से निबंधित या 30 वर्षो के लीज पर निबंधित होनी चाहिए ।

(ख) **भवन** -- संस्था को निम्नांकित संरचना के साथ अपना भवन होना चाहिए :-
व्याख्यान कक्ष न्यूनतम आकार 20' X 30' के कम-से-कम 7 उपस्कर युक्त व्याख्यान कक्ष ।
इसके अतिरिक्त निम्नांकित संरचना आवश्यक है:

	कमरा	न्यूनतम आकार	संख्या
1.	प्राचार्य कक्ष-	20' X 30'	1
2.	कार्यालय-	20' X 30'	1
3.	पुस्तकालय-	25' X 40'	1
4.	शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम	20' X 30'	1
5.	छात्रों के लिए कॉमन रूम-	20' X 30'	1
6.	छात्राओं के लिए कॉमन रूम-	20' X 30'	1
7.	प्रयोगशाला-	25' X 40'	
	प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिए अलग-अलग		1

(ट) यह कि कला एवं विज्ञान संकाय को मिलाकर प्रथम वर्ष में कम-से-कम 100 छात्रों का नामांकन किया गया हो । वाणिज्य के लिए अतिरिक्त न्यूनतम संख्या 32 होगी ।
परंतु यह कि कला या विज्ञान संकाय के किसी ऐसे विषय में प्रस्वीकृति नहीं दी जाएगी जिसमें प्रथम वर्ष में छात्र संख्या 16 से कम हो ।

8. (1) प्रस्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में --
(क) जिस संस्था की स्थापना सरकार द्वारा की गई हो तथा जिसपर सरकार का स्वामित्व हो, वैसे मामले में सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दिया जायेगा और
(ख) अन्य संस्था के मामले में व्यवस्थापिका या प्रबन्धकारिणी समिति के सचिव द्वारा दिया जाएगा ।
(2) आवेदन पत्र सचिव को संबोधित होगा ।
(3) प्रत्येक आवेदन पत्र में विषयों के साथ उस संकाय या उन संकायों का उल्लेख रहेगा जिनमें संस्था शिक्षण कार्य करना चाहती है और इसमें निम्नलिखित सूचनाएँ दी जाएँगी :

9. (क) स्थायी प्रस्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों पर स्थलीय जाँच तथा संबंधित अभिलेखों/कागजातों के आधार पर परिषद् तीन माह के अन्दर इस बिन्दु पर अपना मन्तव्य गठित करेगी कि संबंधित संस्था नियम 7 में अंकित सभी शर्त्तों को पूर्ण करती है अथवा नहीं ।
(ख) जो संस्था सभी निर्धारित शर्त्तों को पूरा नहीं करती है उनके आवेदन कारणों का उल्लेख करते हुए परिषद् द्वारा संस्था को वापस लौटा दिये जायेंग ।
(ग) जो संस्था सभी निर्धारित शर्त्तों को पूरा करती है उनके आवेदन अनुलग्नक कागजातों सहित स्पष्ट अनुशंसा के साथ परिषद् द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जायेंगे ।
(घ) राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही परिषद् द्वारा प्रस्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा ।
(ड.) परिषद् का निर्णय संबंधित संस्था को संसूचित किया जाएगा । इसमें उन विषयों/ पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया जाएगा, जिनमें संस्था को प्रस्वीकृति दी गई है ।

10. **अतिरिक्त विषय/पाठ्यक्रम की प्रस्वीकृति :**
(क) यदि कोई संस्था प्रस्वीकृत पाठ्यक्रमों में कोई अन्य विषय/विषयों को जोड़ना चाहती है, तो वह एतदर्थ अनुमति के लिए प्रस्तावित सत्र के कम-से-कम 6 माह पूर्व आवेदन देगी ।
(ख) ऐसे सभी आवेदनों में नियम 7 के उपबन्ध लागू होंगे ।

11. प्रस्वीकृति प्राप्त संस्था को निम्नलिखित परिस्थितियों में परिषद् द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से पूर्णत: या अंशत: उन विशेषाधिकारों से वंचित किया जा सकेगा, जो उन्हें प्राप्त है:-
(क) यदि प्रस्वीकृति की किसी शर्त्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, या
(ख) परिषद् के नियमों या निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, या
(ग) संस्था में घोर कुव्यवस्था है ।

12. नियम 11 के अधीन कोई निर्णय लेने के पूर्व परिषद् संबंधित संस्था के सचिव को, सरकारी संस्था के मामले में संबंधित पदाधिकारी को युक्तिसंगत समय-सीमा के अन्दर कारण दर्शाने का नोटिस देगी ।

(ग) यह कि छात्रों के कल्याण के लिए उचित व्यवस्था की गई हो।

(घ) यह कि संस्था को खेल का मैदान और खेल-कूद की उचित सुविधायें उपलब्ध है।

(ड.) **पुस्तकालय** --संस्था के पास झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अनुमोदित सूची के अनुसार कम-से-कम 50,000/-(पचास हजार रुपये) मात्र की पुस्तकें उपलब्ध है।

(च) **प्रयोगशाला** -- संस्था के पास झाखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोग हेतु आवश्यक उपकरण/रसायन होने चाहिए जिनकी विशिष्टता एवं संख्या 100 छात्रों की इकाई के लिए झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

प्रयोगशालाओं में अनवरत जलापूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति की स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए ।

(छ) यह कि संस्था ने परिषद् में सुरक्षा कोष के रूप में प्रथम संकाय के लिए रु० 1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) और अगले प्रत्येक संकाय के लिए रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये) जमा कर दिये हों ;

(ज) यह कि संस्था को कर्मियों के वेतन भुगतान पर तथा पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपस्कर एवं भवन के रख-रखाव एवं अन्य आकस्मिकताओं पर होने वाले आवर्तक व्यय का वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो ।

(झ) **संस्था के कर्मी** -- यह कि प्रत्येक विषय में समुचित संख्या में सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई हो। विषयवार शिक्षकों की संख्या राज्य सरकार द्वारा इसके 10+2 विद्यालयों के लिये निर्धारित मानक के अनुसार ही होगी ।

(ञ) **शिक्षकों की योग्यता** -- (i) शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु जिस विषय में शिक्षक की नियुक्ति होनी है उस विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में कम-से-कम 45 प्रतिशत अंक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त बी0एड0 (राज्य सरकार/ राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् द्वारा अधिमान्य) की योग्यता न्यूनतम योग्यता होगी ।

परन्तु संस्था के द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति की अन्य सभी शर्त्तो को पूर्ण किये जाने की स्थिति में शिक्षकों के द्वारा बी0एड0 की डिग्री प्राप्त करने हेतु अधिकतम 3 वर्षो का समय दिया जायगा । इस अवधि की समाप्ति पर यदि संस्था के सभी नव नियुक्त शिक्षक (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार) बी0एड0 की योग्यता नहीं प्राप्त कर लेते है तो संस्था की स्थायी प्रस्वीकृति स्वत: समाप्त समझी जायेगी ।

(ii) अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्वीकृत संस्था में मात्र निम्नलिखित शिक्षकेत्तर पद होंगे :-

(क)	प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल	एक
(ख)	रोकड़पाल-सह-काउन्टर क्लर्क	एक
(ग)	टंकक-सह-लिपिक	एक
(घ)	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	एक
(ड.)	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी	तीन

(iii) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन महाविद्यालय के शिक्षक एवम् शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार की जाएगी ।

(iv) शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए अपेक्षित अहर्ताएँ एवं अन्य सेवा शर्ते वही होंगी, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद् द्वारा विहित की जायेंगी ।

13. संस्था के अभ्यावेदन पर, यदि कोई अनुमोदन प्राप्त हुआ हो तो, और यदि कोई निरीक्षण या जाँच करायी गयी हों तो, उसके प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, परिषद् ऐसा निर्णय ले सकेगी जो वह उचित समझें ।

14. नियम 7(अ) के प्रावधान के परन्तुक को छोड़कर जब किसी संस्था को उसे प्राप्त विशेषाधिकारों से अंशतः या पूर्णतः वंचित करने का निर्णय लिया जाता है तो उसके कारणों का उल्लेख किया जायेगा । परिषद् के निर्णय से संस्था को तुरंत अवगत कराया जायेगा ।

15. कोई संस्था परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर किसी विषय अथवा किसी संकाय में किसी कारण से अध्यापन कार्य स्थगित कर सकेगी । इस तरह से स्थगित अध्यापन कार्य परिषद् की मंजूरी के बिना प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा और यदि लगातार तीन वर्षों की अवधि पर्यन्त अध्यापन कार्य पुनः प्रारंभ नही किया जाता है, तो पूर्व मे दिया गया विशेषाधिकार स्वतः व्ययगत हो जाएगा ।

16. यदि किसी कारण से कोई संस्था किसी विषय में वर्गाध्यापन प्रारंभ करने में लगातार तीन सत्रों तक असमर्थ रहता है तो ऐसे विषय में पूर्व में दिया गया विशेषाधिकार व्ययगत हो जाएगा ।

17. (क) प्रत्येक प्रस्वीकृत संस्था के लिए एक शासी निकाय का गठन किया जायेगा ।

(ख) किसी भी प्रस्वीकृत संस्था के शासी निकाय के संबंध में विवाद होने पर इस संबंध में परिषद् का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

18. इस नियमावली के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण इस नियमावली का अंग समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
सुखदेव सिंह,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 705--300+500--शनि मुण्डा ।

झारखण्ड-सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

झारखण्ड अधिविध परिषद अधिनियम 2002 की धारा 26(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना संख्या-3036 दिनांक-27.12.2005 के तहत अधिसूचित झारखण्ड इन्टरमिडिएट महाविधालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बन्धेज) नियमावली 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते है :-

यह नियमावली झारखण्ड इन्टरमिडिएट महाविधालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बन्धेज) संशोधन नियमावली, 2006 कही जाएगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा। यह राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

संशोधन

1. झारखण्ड इन्टरमिडिएट महाविधालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बन्धेज) नियमावली 2005 के नियम-7 के उप नियम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा। यथा:-

7(ख)भवन(।) केवल कला संकाय के लिए 600 वर्गफीट प्रति कक्ष के साईज के उपस्कर युक्त 4(चार)व्याख्यान कक्ष

(।।) कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए 600 वर्गफीट प्रति कक्ष के साईज के उपस्करयुक्त 6(छह) व्याख्यान कक्ष

(।।।) कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों के लिए 600 वर्गफीट प्रतिकक्ष के साईज के 8(आठ)व्याख्यान कक्ष।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित संरचना आवश्यक है :-

क्रमांक	कमरा	न्यूनतम आकार(वर्गफीट)	संख्या
1.	प्राचार्य कक्ष-	600,	1
2.	कार्यालय -	600,	1
3.	पुस्तकालय-	1000,	1
4.	शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम-	600,	1
5.	छात्रों के लिए कॉमन रूम -	600,	1
6.	छात्राओं के लिए कॉमन रूम-	600,	1
7.	प्रयोगशाला- (प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिए अलग-अलग)	1000,	1

Sukhdev 26/07

कृ0प्र030

2. नियम-7-(घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, यथा:-

7(घ) यह कि संस्था ने परिषद् में सुरक्षा कोष के रूप में प्रथम संकाय के लिए 1,00,000/-रु० तथा अन्य प्रत्येक अतिरिक्त संकाय के लिए 25,000/- रु० जमा कर दिये हों, परन्तु जनजातीय क्षेत्र में अवस्थित महाविद्यालय के लिए प्रथम संकाय के लिए 50,000/-रु० तथा वाणिज्य संकाय के लिए 10,000/-रु० एवं विज्ञान संकाय के लिए 15,000/-रु० जमा कर दिये हों ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
Sukhdev Singh 26/07
सरकार के सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक-6/अ8-08/2005 1585 / रांची, दिनांक- 27.7.06

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 500 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

Sukhdev Singh
सरकार के सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक-6/अ8-08/2005 1585 / रांची, दिनांक- 27.

प्रतिलिपि, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक उच्च शिक्षा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

Sukhdev Singh 26/07
सरकार के सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, रांची

ज्ञा -6/अ8-08/2005 1585 / रांची, दिनांक- 27.7.06

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के आप्त सचिव को माननीय मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित ।

Sukhdev Singh 26/07
सरकार के सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक-6/अ8-08/2005 1585 / रांची, दिनांक- 27.7.06

प्रतिलिपि, सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची/ राज्य के सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ राज्य के सभी उपायुक्त/ राज्य के सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

Sukhdev Singh 26/07
सरकार के सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, रांची